


मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 666036



UT. R

किराया चिट्ठी का अनुबंध-लेख NOTED AND REGISTERE

on Dt. - 8 APR 2022

At.Sr.No. 0348/2022

MANGO IT SOLUTIONS

पता : 15/3, ओल्ड पलासिया, शारदा हाउस के पीछे, इन्दौर (म.प्र.)

TATJANA MAILIN VANESSA TABEA

टतजाना मेलिन वेनेसा टाबिए 11-9329624739, 9893024117

निवासी : 9304, रेजेन्स बर्ग, (जर्मनी) किराया चिट्ठी लिख देने वाले

प्रथमपक्ष/किरायेदार

श्री विजय शिन्दे पिता स्व.श्री शंकरलाल शिन्दे

निवासी: 101 (जयमाल) साकेत नगर,


इन्दौर (म.प्र.) मो.नं. 9303205650

किराया चिट्ठी लिखवा लेने वाले (द्वितीयपक्ष)

यह किराया चिट्ठी का अनुबंध लिख देने वाला किरायेदार/प्रथमपक्ष आप संपत्ति मालिक/द्वितीयपक्ष के हित मे निम्नानुसार लिख देता हूं कि :-

ATTESTED

Shide



A CAUSING WILL A



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 666037

यह कि, द्वितीयपक्ष की मालकी व आधिपत्य का स्वतंत्र मकान 101, 1. ''जयमाल'' साकेत नगर, इन्दौर (म.प्र.) पर स्थित है। सदर मकान की द्वितीयपक्ष पर स्थित दो रूम, किचन तथा लेटबाथ को द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को किराये पर दिया जा रहा है। उक्त स्थान द्वितीयपक्ष से दिनांक 06.04.2022 से निम्नानुसार शार्तो पर प्रथमपक्ष ने किराये से लिया है एवं आज दिनांक को इस लेख की शर्तो के आधीन लेखीबद्ध किया जा रहा है। आगे सुविधा की दृष्टि उक्त किरायेगत स्वतंत्र मकान

...2...

को सदर संपत्ति शब्द से संबोधित, किया गया है।

यह कि, प्रथमपक्ष जी द्वितीयपक्ष स्मे सिदर संपत्ति को रूपये 12,000/-(अक्षरी रूपये बारही मात्र) प्रतिसाह में किराये पर लिया है। उक्त सदर संपत्ति का रूप माह का रिक्शि किराया अग्रिम रूपये 12,000/- (अक्षरी रूपये बारह हजार मात्र) तथा एक माह की सिक्युरिटी डिपाजिट रूपये 12,000/- (अक्षरी रूपये बारह हजार मात्र) इस प्रकार कुल राशि 24,000/- (अक्षरी रूपये चौवीस हजार मात्र) स्टेर्ण्डड चार्टड बैक शाखा डी.एम.टॉवर्स, रेसकोर्स रोड, इन्दौर के चेक क्रमांक 003427 दिनांक 06.04.2022 द्वारा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को को अदा कर दिये है। सिक्युरिटी डिपाजिट के रूप में द्वितीयपक्ष के पास बिना ब्याज के जमा रहेंगे, जब प्रथमपक्ष सदर संपत्ति खाली कर द्वितीयपक्ष को सुपूर्व करेंगे, उस वक्त संपत्ति मालिक से डिपाजिट की राशि वापस प्राप्त करेंगे।

यह कि, सदर संपत्ति हमेशा साफ-सुथरा रखेंगे तथा इसमे किसी प्रकार की तोड फोड का कार्य, परिवर्तन नहीं करेंगे, जिससे भवन की दृढता में किसी प्रकार की कमी अथवा आसपास वालों को कोई नुकसान न हो यदि कोई ऐसा कोई कृत्य प्रथमपक्ष द्वारा किया जाना पावे तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रथमपक्ष की रहेंगी।

ALTESTED

TOM

SANJAY ALIVUL.

BRI





HUNDREDERU

RELINDIA EINDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 666038

यह कि, उक्त किराये की राशि के अवाला बिजली का बिल, कचरे का बिल एवं अवंतिका गैस का बिल जो भी आवेगा उसका भुगतान प्रथमपक्ष द्वारा ही किया जावेगा यह राशि किराया राशि में सिम्मिलित नहीं है। वर्तमान विद्युत रिडिंग व गैस रिडिंग है। वर्तमान अथवा भविष्य में पानी हेत् टेंकर की व्यवस्था की जाने पर उसमें लगने वाला व्यय आनुपातिक व्यय किरायेदार द्वारा देय होगा।

...3...

- यह कि, सदर संपत्ति को प्रथमपक्ष अन्य किसी को पोट भाडे से नहीं देवेंगे 5. यदि प्रथमपक्ष् ने अन्य किसी को असदर संपत्ति पोट भाडे पर दिया तो द्वितीयपक्ष को प्रथमिश्वासे सर्वे अपिता खाली करा लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- यह कि, सदर संपत्ति को प्रथमपक्ष आवासीय उपयोग हेतु किराये पर लिया 6. है। सदर संपत्ति का प्रथमपक्ष अन्य किसी आशय हेत् उपयोग नहीं करेंगे।
- यह कि, सदर संपत्ति प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से 11 माह की अवधि हेत् 7. प्राप्त की है, 11 माह की समाप्ति पर सदर संपत्ति का रिक्त आधिपत्य द्वितीयपक्ष के सूपूर्व कर देवेंगे। 11 माह की अवधि पश्चात किराया राशि मे 10(दस) प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी एवं नई किराया चिट्ठी बनवाई जावेगी। यह अधिकार मकान मालिक के पास ही रहेगा अन्यथा अवधि पश्चात् प्रथमपक्ष/किरायेदार द्वारा सदर संपत्ति खाली कर दी जावेगी।
- यह कि, सदर संपत्ति का किराया प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष को हर माह 01 से 8. 05 तारिख तक नियमित रूप से द्वितीयपक्ष को अदा किया करेंगे। यदि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को एक माह का किराया अदा नही किया तथा प्रथमपक्ष द्वारा किराये की राशि चढ गई तो द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से सदर संपत्ति का रिक्त कब्जा/आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार होगा।

AITESTED

भारतीय गेर न्याधिक

क सौ रुपये



Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEE

SOLOGIO PATRO INDIA SOLOGI

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 666039

- 9. यह कि, प्रथमपक्ष सदर संपत्ति में किसी प्रकार का अवैध व्यवसाय नहीं करेंगे, न ही किसी प्रकार की कानून से प्रतिबंधित वस्तु जेसे शराब, मादक द्रव्य, चरस, भांग आदि का व्यवसाय करेंगे न ही किसी ज्वलनशील पदार्थ द्रव्य आदि का संग्रह कर सकेंगे अन्यथा इसकी कुल जवाबदारी प्रथमपक्ष की रहेगी।
- 10. यह कि, सदर संपत्ति प्रथमपक्ष को खाली कराना हुआ तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को एक माह पूर्व लेखी मे सुचना पत्र देकर सदर संपत्ति खाली कर देवेंगे। यदि प्रथमपक्ष ने बग्नैर सुचना पत्र दिये सदर संपत्ति खाली कर दिया तो दितीयपक्ष को प्रथमपक्ष में सूचना पत्र की अवधि का किराया प्राप्त करने का अधिका रिहेगी मेद संपत्ति मालिक द्वितीयपक्ष को उक्त स्थान की आवश्यकता हुई तो एक माह पूर्व सुचना पत्र देकर सदर संपत्ति प्रथमपक्ष से रिक्त करवा सकेंगे।
- 11. यह कि, सदर संपत्ति की किरायेदारी की समाप्ति के समय प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष का सदर संपत्ति खाली कर उसका रिक्त कब्जा जिस अवस्था में द्वितीयपक्ष से प्राप्त किया है उसी अवस्था में द्वितीयपक्ष को वापस सौप देवेंगे तथा द्वितीयपक्ष से चुकती पावती हासिल करेंगे साथ ही डिपाजिट की राशि बगैर ब्याज के उसी समय वापस प्राप्त करेंगे। यदि सदर संपत्ति खाली करते समय प्रथमपक्ष पर कोई किराया राशि लेना बकाया निकली या अन्य कोई बकाया, या टुट-फुट सामान कम या नुकसान रही तो वह समस्त राशि उक्त डिपाजिट की राशि में से आप वसूल कर शेष राशि प्रथमपक्ष को वापस कर सेंकेंगे। इस संबंध में प्रथमपक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

ATTESTED

(A) G

भारतीय गेर न्यायिक

क सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEE

ANDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 666040

...5...

- 12. किरायेगत स्थान के रख रखाव की जवाबदारी किरायेदार प्रथमपक्ष की रहेगी सदर संपत्ति खाली करते समय प्रथमपक्ष सदर संपत्ति इसी स्थिति मे द्वितीयपक्ष को सुपुर्द करेंगे।
- 13. उक्त किरायेदारी की जानकारी संबंधित थाने में संपत्ति मालिक द्वारा दे दी जावेगी। उक्त किरायेदारी में यदि कोई विवाद होता है तो न्यायालयीन क्षेत्र इन्दौर ही रहेगा किरायेदार कभी भी, संपत्ति मालिक के स्वामित्व को चूनोती नहीं देवेंगे. एवं संप्रति मालिक के द्वारा सुचना देने पर किरायेदार के द्वारा उक्त स्थान खाली करवा सकेंगे, जिसमें होगा कि स्थापिक के किरायेदार की उक्त स्थान खाली करवा सकेंगे, जिसमें लगने वाले व्यव की जानिवार किरायेदार की रहेगी।
- 14. उक्त प्रिमाईसेस में चार पंखे, ... ट्युबलाईट, एक टेबल, एक डबलबेड, एक अलमीरा, एक ए.सी., एक गीजर इत्यादि द्वितीयपक्ष ने लगवाकर दिये है। उक्त किरायेगत स्थान जिस अवस्था मे है उसी स्वच्छ अवस्था मे रिक्त करते समय किरायेदार प्रथमपक्ष द्वारा मालिक द्वितीयपक्ष को सूपूर्द किया जावेगा यदि इनमे किसी प्रकार की टूट फुट होती है तो उसके नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष किरायेदार की होगी यदि कोई नुकसानी होती है तो उसकी भरपाई संपत्ति मालिक द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष की जमा सिक्युरिटी की डिपाजिट राशि से काटकर की जावेगी। जिसमे किरायेदार को कोई आपत्ति नही होगी।

ATTESTED

S. STAD

अविस्त ४

अत: यह किराया चिट्ठी का अनुबंध लेख प्रथमपक्ष ने राजी-खुशी से सोच समझकर लिख देकर स्वस्थ, शारीरिक व मानसिक अवस्था में गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किया सो सही ताकि प्रामाण रहें। वक्त जरूरत काम आवे।

इति, इन्दौर, दिनांक-

साक्षीगण:-

1. हस्ताक्षर....

Turn family

पता

Der Rom france

2. हस्ताक्षरः जिल्लेखाः रू...

नाम

भगद्य भारते

(H14)

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष/किरायेदार

MANGO IT SOLUTIONS

TATJANA MAILIN VANESSA

TABEA

टतजाना मेलिन वेनेसा टाबिए

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष/संपत्ति मालिक

V.Shride ...

श्री विजय शिन्दे

ALTOUR STATE OF THE STATE OF TH

AHESTED

SANJAV BAYKWAP HOVERNMENT OF INDIA